UPSP010053932026

न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम, सहारनपुर।

पीठासीन अधिकारी– श्री श्रेय शुक्ला, उच्चतर न्यायिक सेवा।

J.O. Code– UP3845

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 2019/2026

1. सोनू कुमार पुत्र ओमपाल सिंह
2. अजय कुमार पुत्र अशोक कुमार
3. योगेश कुमार पुत्र ब्रहमपाल

समस्त निवासीगण ग्राम रंढेडी, थाना गंगोह, जिला सहारनपुर।

..... प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... विपक्षी।

मु०अ०सं०–265/2025
धारा–115(2),333,351(2),76 बी.एन.एस.
थाना–गंगोह, जिला–सहारनपुर।

11.06.2026

आवेदक/अभियुक्तगण **सोनू कुमार, अजय कुमार व योगेश कुमार** द्वारा अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत हेतु यह प्रथम आवेदन है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद अथवा अन्य किसी भी न्यायालय में अग्रिम जमानत हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अभियोजन कथानक के संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 17.07.2025 को समय 08.25 पर मैं शिवचरण अपनी ड्यूटी पते बिजलीघर से घर जा रहा था तो मेरे गांव के अजय पुत्र अशोक, योगेश पुत्र बिरमसिंह, सोनू पुत्र ओमपाल ने एक राय होकर मुझे रास्ते में रोक लिया और शुसील वकील के घर के सामने मेरे ऊपर जान से मारने की नीयत से लाठी–डंडे व लोहे की राड से पूरी तरह मारपीट की तथा अजय पुत्र अशोक जो अपने हाथ में तमंचा लिए हुए था उसने मेरे जाने से मारने की नीयत से फायर किया जिससे मैं बाल–बाल बचा और उनसे जान छुडा कर अपने घर भागा तो ये लोग पीछे से मेरे घर में घुस गये। और घर के अंदर पुनः मारपीट की जैसे ही मेरी पत्नी शालू ने मुझे उनसे छुटाने की कोशिश की तो उन्होंने उसके भी कपड़े फाड दिये और उसके साथ भी गलत नजर से देखा। जैसे ही शोर सराबा सुनकर लोग इकट्ठा होने शुरू हुए तो ये सभी लोग भविष्ट में जान से मारने की धमकी देते हुए मुझे अधमरा कर मेरे डर पर छोड भाग गये। इस घटना को मेरे गांव के तेजपाल पुत्र हुक्मसिंह, गुलाब, अजबसिंह, जश्बीर पुत्र हुक्मसिंह, शताब पुत्र हुक्मसिंह, सुभाष पुत्र रकम सिंह ने घटना को अपनी आंखों से देखा। अतः कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से बहस की गयी है कि प्रार्थी बेगुनाह है तथा उसको झूठे वाकात पर मुल्जिम बनाया गया है। प्रार्थी ने हरगिज वाद उपरोक्त से संबंधित कोई अपराध किसी प्रकार से नहीं किया है। सत्यता यह है कि दिनांक 17.07.2025 में करीब 06.00 बजे वादी पक्ष द्वारा प्रार्थी मुल्जिम अजय के घर का बिजली कनेक्शन वादी पक्ष द्वारा अपनी दबंगई के बाल पर काट दिया, जिसका उलहाना मुल्जिमान द्वारा वादी पक्ष को दिया तो वादी पक्ष उग्र हो गये और तब ही वादी पक्ष के रिंकू, संदीप, सुमित, अमित, छोटू ने मुल्जिम अजय के गऱ में घुसकर गंभीर रूप से मारपीट की तथा प्रार्थी मुलजिम अजय की मां बचाने आयी तो सभी ने उसके साथ भी मारपीट कर अश्लील व गंदी हरकते करते हुए कपड़े

फाड़ दिये, जिसके संबंध में प्रार्थी द्वारा एक मु.अ.सं. 267–25, धारा 191(2),333,115(2),74,118(1) बी.एन.एस. के अंतर्गत पंजीकृत कराया जिससे बचने के लिए मात्र दबाव बनाने की गरज से प्रार्थिगण के विरूद्ध बसात पुलिस व राजनैतिक प्रभाव से उपरोक्त मुकमदा झूठा पंजीकृत करा दिया, जिसमे कोई सत्यता किसी प्रकार की नहीं है तथा आरोपपत्र न्यायालय में आ चुका है। जो न्यायालय में विचाराधीन है। तथा वादी पक्ष द्वारा अपनी जमानते भी निम्न न्यायालय से करा ली है। प्रार्थीगण उपरोक्त वाद में पूर्व से थाने से जमानत पर है उन्होंने जमानत का कोई दुरूपयोग नहीं किया है। उपरोक्त वाद में आरोपपत्र न्यायालय में आ चुका है। तथाकथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्तगण के द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में गलत कथन किये गये हैं। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया तथा समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

पत्रावली एवं थाने से प्राप्त आख्या एवं केस डायरी का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्तगण पर वादी मुकदमा के घर में घुसकर लाठी–डंडे व लोहे की राड से मारपीट करने व वादी की पत्नी द्वारा वादी को छुटाने की कोशिश करने पर वादी की पत्नी के कपड़े फाड़ने के साथ गलत नजर से देखने एवं भविष्य में वादी को जान से मारने की धमकी देने का आक्षेप है। आवेदक/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। पत्रावली के अवलोकन से दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त को धारा– 35(3)भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नोटिस के प्रावधानों के अनुपालन में बिना गिरफ्तार किए आरोप पत्र प्रेषित किया जाना परिलक्षित है। प्रस्तुत मामले में धारा 109(1) बी०एन०एस० का विलोपन करते हुए धारा 115(2),33,351(2),76 बी०एन०एस० में आरोप पत्र प्रेषित किये जाने एवं उक्त आरोप पत्र पर अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 03.04.2026 को प्रसंज्ञान लेकर अभियुक्त के विरूद्ध समन जारी किए जाने पर अभियुक्त की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। कथित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय तथा सात वर्ष तक की सजा से दण्डनीय है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्तगण का कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं दर्शाया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि–व्यवस्था **Satendra Kumar Antil vs CBI and others 2023 LL (SC) 233** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–

It is the duty of public prosecutor also to plead correct legal position before the Court as officers of the Court. We would like to clarify that what we have enunciated qua bail would equally apply to anticipatory bail cases. Anticipatory bail after all is one of the species of a bail.

अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उक्त विधि–व्यवस्था में पारित किये गये आदेश के अनुपालन में तथा मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये तथा मामले के गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने हेतु पर्याप्त आधार है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्तगण **सोनू कुमार, अजय कुमार व योगेश कुमार** की ओर से प्रस्तुत

प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को उपरोक्त वर्णित अभियोग में मु० **25,000/– रू०** का एक व्यक्तिगत बन्धपत्र और इसी धनराशि का एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संस्तुति के अनुरूप अन्दर **15 दिन** दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जायेः–

1. अभियुक्त, मामले की सुनवाई हेतु नियत तिथियों पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होगा
2. अभियुक्त आरोप विरचन के समय, साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर साक्षीगण के उपस्थित रहने पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।
3. अभियुक्त प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी भी प्रकार का दबाव, धमकी, प्रलोभन किसी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं करेगा, जो केस के तथ्यों के सम्बन्ध में जानकारी रखता हो।
4. अभियुक्त, धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत कथन लेखबद्ध किये जाने हेतु नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
5. अभियुक्त विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।
6. अभियुक्त, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहेगा।
7. अभियुक्त, न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना देश नहीं छोड़ेगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लघंन किये जाने पर न्याायलय द्वारा उसके विरूद्ध विधि सम्मत आदेश पारित किया जाये।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित **थानाध्यक्ष/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर** को जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के माध्यम से अविलम्ब प्रेषित की जाये।

दिनांक 11.06.2026

(श्रेय शुक्ला)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय–प्रथम,
सहारनपुर।
J.O. Code–UP3845

Digitally signed by Shrey Shukla
Date: 2026.06.17 14:21:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court